न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:–36 / 2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2018 / 00165

उनवान

रंजन सिंह आयु 55 वर्ष पुत्र जुगल जाति गूजर निवासी कपूरा मलूका तहसील बयाना।
.....अपीलांट।

बनाम

1. जगदीश पुत्र जुगल जाति गूजर निवासी कपूरा मलूका तहसील बयाना।
2. दीवान सिंह पुत्र हरज्ञान जाति गूजर निवासी कपूरा मलूका तहसील बयाना।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 06.08.2018 उनवानी रजन सिंह बनाम जगदीश प्र0स0 196 / 14

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री धनीराम उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–08.04.2022

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 06.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी / अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 2.23 है0 वाके ग्राम कपूरा मलूका तहसील बयाना में स्थित है जो प्रार्थी / अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी / रैस्पो0 संख्या 02 के पूर्वज स्व0 जुगल की छोडी हुयी पैतृक आराजी है। अप्रार्थी / रैस्पो0 संख्या 01 ने विवादित आराजी के कुछ भाग को अप्रार्थी / रैस्पो0 संख्या 02 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय के आधार पर अप्रार्थी / रैस्पो0 विवादित आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

1 भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें रैस्पो0 संख्या 01 जगदीश 1/4 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी था। रैस्पो0 संख्या 01 अपीलाण्ट का सगा भाई है उसने अपने कारोबार के वास्ते अपीलाण्ट से 8,60,000 रूपये उधार ले लिये और वह रूपयो को लेकर गॉव छोडकर बाहर चला गया तथा अपीलाण्ट के पक्ष में एक इकरारनामा दिनांक 16.04.2009 को तहरीर करावाकर बतौर गिरवी उक्त आराजी के अपने निहित 1/4 भाग के तमाम खातेदारी काश्तकारी के अधिकारो को दे दिया और तभी से अपीलाण्ट रैस्पो0 संख्या 01 के 1/4 भाग की कृषि भूमि को मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि रैस्पो0 ने अपीलाण्ट से छुपाते हुये उक्त आराजी में निहित अपने 1/4 भाग का एक वयनामा तहरीर कराकर रैस्पो0 संख्या 02 दीवान सिंह को विक्रय कर दिया। यह है कि पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य उपरान्त मूल वाद में होगा। परन्तु विवादित आराजी को सुरक्षित रखने के लिये स्थगन उचित रहता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ पर कोई विवेचना नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा किये गये इकरारनामा दिनांक 16.04.2009 के आधार पर अपना स्वत्व बताते हैं। परन्तु अपीलाण्ट ने कथित इकरारनामा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं ना ही हस्तगत अपील में ही प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2014, पंजीबद्ध दिनांक 01.12.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी को रैस्पो0 संख्या 01 ने जरिये रजिस्टर्ड वयनमा रैस्पो0 संख्या 02 को विक्रय किया गया है एवं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी दिनांक 01.12.2014 को ही प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.01.2015 तक जारी की गयी है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त वयनामा के आधार पर रैस्पो0 संख्या 02 के नाम राजस्व अभिलेख में रोकने के उद्देश्य से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध वयनामा के आधार पर रैस्पो0 संख्या 02 सद्भावी क्रेता है। लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर, रैस्पो0 संख्या 02 के पक्ष में अधिक पुष्ट होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिजाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 01.12.2014 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना